


राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(201) ग्रावि/ग्रुप-5/जीकेएन/संरपच ज्ञापन/2015-16/28 जयपुर, दिनांक:
25-04-2017

कार्यालय आदेश


विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के भौतिक सत्यापन के संबंध में जारी आदेश एफ. 186() पं.रा.वि/लेखा/निरी.-11/2015-16 जयपुर दिनांक 30.03.2016 के अतिक्रमण में महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन, सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा महानरेगा योजना के नियमों एवं दिशा निर्देशों के तहत किया जा सकेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होगा।


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास जयपुर।
9. जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
11. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियंता/अधिशाली अभियंता, ग्रावि एवं पंरावि/ईजीएस/जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
13. सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड बाबत।
14. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग